

वादीमा के समय दर्ज कराये गये। तथा
 हस्ताक्षर दर्ज कराये गये। नकील वादीगण
 की लाफ्त वगैरे की गई। नकील वादी की बहस
 को रोकना गया। नकील वादीगण ने बहस में
 भाग लिया गया कि उनमें पत्रों के बजाए
 नाम में नकील वादीगण में वादीमा के प्रति एवं
 वादीमा के पत्र के पिता का नाम उल्लेख करके
 है कि राजा ओमकार दर्ज करने की घोषणा की
 प्रतीति की जति वादी सं 1, 2, 3 के अन्य
 नामों इतिहास में ओमकार अतिरिक्त वेने से
 देखावेब एवं राजस्व रेकार्ड में भिन्नता होनेसे
 इन्हीं नामों का एक रूप हो सके तथा वादीगण
 को अनातशक्त कार्डिनलों का सामना नहीं करना
 पड़े। इस पर पत्रावली का एवं संलग्न दस्तावेजों
 राजस्व रेकार्ड का गहनता से परीक्षण किया गया
 परीक्षण उपरान्त पाया गया कि वादीगण के राजस्व
 रेकार्ड एवं दस्तावेजों में एकरूपता नहीं है
 पाया गया है इसलिए दस्तावेज अनुसार राजस्व
 रेकार्ड में सुदृ किया जाना उचित ठेकर
 आग्रहोक्त है। इस वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत
 धारा 82 आदेशों एवं इन्ड्रान सुकुरी का
 स्वीकार किया जाता है। तथा आदेश दिया जाता
 है कि मौजा पत्रों के खाल सं 708 में प्रमाणित
 वादीसंख्या - 1 ब्राह्मणपति ओमकार अंगी वादी सं 2
 जगदी प्रती ओमकार, विशाल पुत्र ओमकार राजस्व
 रेकार्ड में शुरु अंकन करने की घोषणा की जाती
 है। तथा इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में बमल
 दस्तावेज किंचित आने का आदेश दिया जाता है।

निष्पत्ति खुले न्यायालय में सिखाया जाकर
 सुनाया गया। पत्रावली में डिम्बी पत्र अलग
 से मूहिल लेकट संलग्न पत्रावली से।



अद्वैत अधिकारी
 इंगला
 जिला-चित्तौड़गढ़



चाइसिंगे
 पेरा सी...
 रिपोर्ट...

न्यायालय उत्तर

1. श्रीमती शोभा पालोद, त
2. सुश्री श्री